

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़**  
**पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस**

गि०न० - 122/2025

अनवान : -

1. वीरसिंह पुत्र देईराम जाति मेघवाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

:-वादी

बनाम

1. भालसिंह पुत्र देईराम जाति मेघवाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. सुनीता पत्नी बलवन्त जाति मेघवाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
3. प्रियंका पुत्री बलवंत जाति मेघवाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
4. अंकित पुत्र बलवन्त आयु 13 साल नावालिगान जरिये कुदरती वली माता सुनीता पत्नी बलवंत जाति मेघवाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
5. प्रदीप पुत्र बलवन्त आयु 13 साल नावालिगान जरिये कुदरती वली माता सुनीता पत्नी बलवंत जाति मेघवाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
6. कृष्ण कुमार पुत्र वेगराज जाति मेघवाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
7. सतवीर पुत्र वेगराज जाति मेघवाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
8. बलदेवसिंह पुत्र देईराम जाति मेघवाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
9. पंजाब नेशनल बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।
10. भारतीय स्टेट बैंक शाखा एसीजेएम कोर्ट भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पूनियां व वकील प्रतिवादीगण श्री उम्मेद मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा रोही मौजा करनपुरा बारानी के खाता सं० 164/313 के खसरा सं० 338/2 की 4.250है०, खसरा सं० 367/1 की 2.264है०, खसरा सं० 404/1 की 1.085है०, खसरा सं० 411/1 की 1.084है० कुल 8.683है० खातेदारी कृषि भूमि में अंकित के नाम 1/20 हिस्सा, कृष्ण कुमार के नाम 1/10 हिस्सा, प्रदीप के नाम 1/20 हिस्सा, प्रियंका के नाम 1/20 हिस्सा, बलदेवसिंह के नाम 1/5 हिस्सा, भालसिंह के नाम 1/5 हिस्सा, वीरसिंह के नाम 1/5 हिस्सा, सतवीर के नाम 1/10 हिस्सा, सुनीता के नाम 1/20 हिस्सा के अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड दर्ज है में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

वादी वीरसिंह पुत्र देईराम जाति मेघवाल साकिन करनपुरा खातेदार :- रोही मौजा करनपुरा बारानी के खाता सं० 164/313 के खसरा सं० 411/1 की 0.253है० खसरा सं० 338/2 की 1.012है० खसरा सं० 367/1 की 0.4716है० कुल रकबा 1.7366है० बारानी।

प्रतिवादी सं०1 भालसिंह पुत्र देईराम जाति मेघवाल साकिन करनपुरा खातेदार :- रोही मौजा करनपुरा बारानी के खाता सं० 164/313 के खसरा सं० 411/1 की 0.1794है० खसरा सं० 338/2 की 1.012है० खसरा सं० 367/1 की 0.5452है० कुल रकबा 1.7366है० बारानी।

प्रतिवादी सं० 2 सुनीता पत्नी बलवंत, प्रतिवादी सं० 3 प्रियंका पुत्री बलवंत, प्रतिवादी सं० 4 अंकित पुत्र बलवंत, प्रतिवादी सं० 5 प्रदीप पुत्र बलवंत बहिस्सा बराबर जाति मेघवाल साकिन करनपुरा खातेदार :- रोही मौजा करनपुरा बारानी के खाता सं० 164/313 के खसरा सं० 338/2 की 1.265है० खसरा सं० 367/1 की 0.4716है० कुल रकबा 1.7366है० बारानी।

प्रतिवादी सं० 6 कृष्णकुमार पुत्र वेगराज, प्रतिवादी सं० 7 सतवीर पुत्र वेगराम बहिस्सा बराबर जाति मेघवाल साकिन करनपुरा खातेदार :- रोही मोजा करनपुरा वारानी के खाता सं० 164/313 के खसरा सं० 404/1 की 1.085है० खसरा सं० 411/1 की 0.6516है० कुल रकवा 1.7366है० वारानी।

प्रतिवादी सं० 8 बलदेव पुत्र देईराम जाति मेघवाल साकिन करनपुरा खातेदार :- रोही मोजा करनपुरा वारानी के खाता सं० 164/313 के खसरा सं० 338/2 की 0.961है०, खसरा सं० 367/1 की 0.7756है० कुल रकवा 1.7366है० वारानी।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। राजीनामा को डिक्री का भाग पढा जावे। पूर्व में दर्ज गै०मु० खाला रास्ता व भूमि की किस्म यथावत् रखी जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/5/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(कल्पित पक्षकारान)

R.A.S

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिलाहनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस

मि०न० - 122/2025

अनवान :-

1. वीरसिंह पुत्र देईराम जाति मेघवाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।  
:-वादी

बनाम

1. भालसिंह पुत्र देईराम जाति मेघवाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. सुनीता पत्नी बलवन्त जाति मेघवाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
3. प्रियंका पुत्री बलवन्त जाति मेघवाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
4. अंकित पुत्र बलवन्त आयु 13 साल नावालिगान जरिये कुदरती बली माता सुनीता पत्नी बलवन्त जाति मेघवाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
5. प्रदीप पुत्र बलवन्त आयु 13 साल नावालिगान जरिये कुदरती बली माता सुनीता पत्नी बलवन्त जाति मेघवाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
6. कृष्ण कुमार पुत्र बेगराज जाति मेघवाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
7. सतवीर पुत्र बेगराज जाति मेघवाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
8. बलदेवसिंह पुत्र देईराम जाति मेघवाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
9. पंजाब नेशनल बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।
10. भारतीय स्टेट बैंक शाखा एसीजेएम कोर्ट भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

:-प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री विनोद पूनियां वादीगण  
श्री उम्मेद मोटसरां प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक:

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा करनपुरा बरानी के खाता सं० 164/313 के खसरा सं० 338/2 की 4.250है०, खसरा सं० 367/1 की 2.264है०, खसरा सं० 404/1 की 1.085है०, खसरा सं० 411/1 की 1.084है० कुल 8.683है० खातेदारी कृषि भूमि में अंकित के नाम 1/20 हिस्सा, कृष्ण कुमार के नाम 1/10 हिस्सा, प्रदीप के नाम 1/20 हिस्सा, प्रियंका के नाम 1/20 हिस्सा, बलदेवसिंह के नाम 1/5 हिस्सा, भालसिंह के नाम 1/5 हिस्सा, वीरसिंह के नाम 1/5 हिस्सा, सतवीर के नाम 1/10 हिस्सा, सुनीता के नाम 1/20 हिस्सा के अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड दर्ज है।

वाद भूमि का काफी अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपने-अपने हिस्सा में आई भूमि को अलग-अलग काश्त करना शुरू कर दिया तथा उनका अलग से खेत व सीव डोल बने हुये हैं। राजस्व रिकॉर्ड में कुल भूमि मुश्तर्का खातेदारी दर्ज होने से माल, लगान आदि को लेकर विवाद बना रहता है। इस प्रकार वादी भूमि का खाता तकसीम अलग करवाना चाहता है, यह ही विनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी सं० 1 ता 8 की ओर से आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। व प्रतिवादी सं० 9 व 10 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया व प्रतिवादी सं० 11 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया।

Kapra  
राजस्थान सरकार  
जिलाहनुमानगढ़

वहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने वहस वकील वादीगण ने निवेदन किया कि पक्षकारान के हिस्सा अनुसार मुताबिक राजीनाम के विवादित भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किया जावे जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की वहस पर गनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मोजा करनपुरा बारानी के खाता सं० 164/313 के खसरा सं० 338/2 की 4.250 है०, खसरा सं० 367/1 की 2.264 है०, खसरा सं० 404/1 की 1.085 है०, खसरा सं० 411/1 की 1.084 है० कुल 8.683 है० खातेदारी कृषि भूमि में अंकित के नाम 1/20 हिस्सा, कृष्ण कुमार के नाम 1/10 हिस्सा, प्रदीप के नाम 1/20 हिस्सा, प्रियंका के नाम 1/20 हिस्सा, बलदेवसिंह के नाम 1/5 हिस्सा, भालसिंह के नाम 1/5 हिस्सा, वीरसिंह के नाम 1/5 हिस्सा, सतवीर के नाम 1/10 हिस्सा, सुनीता के नाम 1/20 हिस्सा के अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड दर्ज है में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डीकी किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

वादी वीरसिंह पुत्र देईराम जाति मेघवाल साकिन करनपुरा खातेदार :- रोही मोजा करनपुरा बारानी के खाता सं० 164/313 के खसरा सं० 411/1 की 0.253 है० खसरा सं० 338/2 की 1.012 है० खसरा सं० 367/1 की 0.4716 है० कुल रकबा 1.7366 है० बारानी।

प्रतिवादी सं० 1 भालसिंह पुत्र देईराम जाति मेघवाल साकिन करनपुरा खातेदार :- रोही मोजा करनपुरा बारानी के खाता सं० 164/313 के खसरा सं० 411/1 की 0.1794 है० खसरा सं० 338/2 की 1.012 है० खसरा सं० 367/1 की 0.5452 है० कुल रकबा 1.7366 है० बारानी।

प्रतिवादी सं० 2 सुनीता पत्नी बलवंत, प्रतिवादी सं० 3 प्रियंका पुत्री बलवंत, प्रतिवादी सं० 4 अंकित पुत्र बलवंत, प्रतिवादी सं० 5 प्रदीप पुत्र बलवंत बहिस्सा बराबर जाति मेघवाल साकिन करनपुरा खातेदार :- रोही मोजा करनपुरा बारानी के खाता सं० 164/313 के खसरा सं० 338/2 की 1.265 है० खसरा सं० 367/1 की 0.4716 है० कुल रकबा 1.7366 है० बारानी।

प्रतिवादी सं० 6 कृष्णकुमार पुत्र बेगराज, प्रतिवादी सं० 7 सतवीर पुत्र बेगराम बहिस्सा बराबर जाति मेघवाल साकिन करनपुरा खातेदार :- रोही मोजा करनपुरा बारानी के खाता सं० 164/313 के खसरा सं० 404/1 की 1.085 है० खसरा सं० 411/1 की 0.6516 है० कुल रकबा 1.7366 है० बारानी।

प्रतिवादी सं० 8 बलदेव पुत्र देईराम जाति मेघवाल साकिन करनपुरा खातेदार :- रोही मोजा करनपुरा बारानी के खाता सं० 164/313 के खसरा सं० 338/2 की 0.961 है०, खसरा सं० 367/1 की 0.7756 है० कुल रकबा 1.7366 है० बारानी।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। राजीनामा को निर्णय का भाग पढा जावे। पूर्व में दर्ज गै०मु० खाला रास्ता व भूमि की किस्म यथावत् रखी जावे। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 13/5/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कल्पित शिवरान)  
उपसचिव (राजस्व) (R.A.S.)  
मधेश जिला हनुमानगढ़